रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

SECRETARIAT LIBRARY No. ... OF INDIA

सं० 37] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 1996/अग्रहायण 19, 1918

No. 37] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 1996/AGRAHAYANA 19, 1918

इलाहाबाद बैंक

अधिसूचना

कलकत्ता, 6 नवम्बर, 1996

सं. प्रशा./5/1656.—इलाहाबाद बैंक का निदेशक बोर्ड, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(i) इन विनियमों को इलाहाबाद बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 कहा जा सकेगा।

(ii) इन विनियमों में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 इसके बाद इसे मूल विनियम कहा गया है। यह विनियम 4 के स्थान पर निम्नवत विनियम प्रतिस्थापित किए जाएं अर्थात् :—

मौजूदा विनियम	प्रस्तावित संशोधन
4. (1) 01-02-1984 को एवं से अधिकारियों के लिए निम्नलिखित चार ग्रेड होंगे और प्रत्येक ग्रेड के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान होंगे :	4.(1) 01-11-1987 से प्रत्येक ग्रेड के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नवत होंगे :
(क) शीर्षस्थ कार्यपालक ग्रेड : वेतनमान **VII** रु. 4,100-125-4,600	(क) शीर्षस्थ कार्यपालक ग्रेड : वेतनमान **VII** रु. 6,400-150-7,000

मौजूदा विनियम	प्रस्तावित संशोधन
वेतनमान VI रु. 3,850-125-4,350	वेतनमान VI रु. 5,950-150-6,550
(ख) वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग :	(ख) वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग :
वेतनमान V रु. 3,575-110-3,685-115-3,800	वेतनमान V रु. 5,350-150-5,950
वेतनमान IV रु. 2,925-105-3,450	वेतनमान IV रु. 4,500-130-4,910-140-5,050-150-5,350
(ग) मध्य प्रबंधन ग्रेड :	(ग) मध्य प्रबंधन ग्रेड :
वेतनमान III रु. 2,650-100-3,250	वेतनमान III रु. 4,020-120-4,260-130-4,910
वेतनमान II रु. 1,825-100-2,825	वेतनमान II रु. 3,060-120-4,260-130-4,390
(घ) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड :	(घ) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड :
वेतनमान I रु. 1,175-60-1,475-70-1,895-ईबी-95-2,275-100-2,675	वेतनमान I रु. 2,100-120-4,020
4.(2) 01-11-1987 को एवं से प्रत्येक ग्रेड के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नवत् होंगे :	4.(2) 01-07-1993 को एवं से प्रत्येक वर्ग के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नवत होंगे :
(क) शीर्षस्थ कार्यपालक ग्रेड :	(क) शीर्षस्थ कार्यपालक ग्रेड :
वेतनमान VII रु. 6,400-150-7,000	वेतनमान VII रु. 12,650-300-13,250-350-13,600-400-14,000
वेतनमान VI रु. 5,950-150-6,550	वेतनमान VI रु. 11,450-300-12,650
(ख) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड :	(ख) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड :
वेतनमान V रु. 5,350-150-5,950	वेतनमान V रु. 10,450-250-11,450
वेतनमान IV रु. 4,520-130-4,910-140-5,050-150-5,350	वेतनमान IV रु. 8,970-230-9,200-250-10,450
(ग) मध्य प्रबंधन ग्रेड :	(ग) मध्य प्रबंधन ग्रेड :
वेतनमान III रु. 4,020-120-4,260-130-4,910	वेतनमान III रु. 8,050-230-9,200-250-9,700
वेतनमान II रु. 3,060-120-4,260-130-4,390	वेतनमान II रु. 6,210-230-8,740
(घ) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड :	(घ) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड :
वेतनमान I रु. 2,100-120-4,020	वेतनमान I रु. 4,250-230-4,940-350-5,290-230-8,050
परन्तु विनियम 8 के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप उक्त वेतनमान में रखे गए प्रत्येक अधिकारी, जो नियत तारीख को लागू वेतनमान द्वारा शासित है, को सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ऊपर दिए गए उक्त वेतनमान में रखा जाएगा ।	4.(3) उप विनियम (i) और (ii) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक से यह अपेक्षा की जाए कि वह हर समय इन सभी ग्रेडों में सेवा करने वाले अधिकारी रखें ।
(2) उप विनियम (i) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक से यह अपेक्षा की जाए कि वह हर समय इन सभी ग्रेडों में सेवा करने वाले अधिकारी रखे ।	
5.(1) 01-11-1987 को एवं से निम्नलिखित उप खंडों के अधीन वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएंगी :	5.(1) विनियम 4 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत, निम्नलिखित उप खंडों के अधीन 01-11-1992 को एवं से वेतनवृद्धि दी जाएगी :
(क) विनियम 4 (1) में निर्धारित वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतन-वृद्धियां, जो सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के अधीन है, वार्षिक आधार पर संचित होंगी एवं उस माह के प्रथम दिन को संस्वीकृत होंगी जिस में ये देय हों ।	(क) विनियम 4 में निर्धारित वेतनमानों पर विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, जो सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के अधीन है, वार्षिक आधार पर संचित होंगी एवं उस माह के प्रथम दिन को संस्वीकृत होगी जिसमें यह देय हों ।
(ख) वेतनमान I एवं II के अधिकारियों को उनके अपने अधिकतम वेतनमान में पहुँचने के एक वर्ष बाद, निम्न (ग) में यथा	(ख) वेतनमान I एवं वेतनमान II के अधिकारियों को उनके अपने अधिकतम वेतनमान में पहुँचने के एक वर्ष बाद, निम्न (ग) में

मौजूदा विनियम	प्रस्तावित संशोधन
विनिर्दिष्ट वेतनमान के अनुसार ही गत्यावरोध (स्टेग्नेशन) वेतनवृद्धियाँ सहित उनके अगले उच्चतर वेतनमान पर अतिरिक्त वेतनवृद्धि(यां) प्रदान की जाएंगी बशर्ते कि वे दक्षतारोध की स्थिति पार कर चुके हों।	यथाविनिर्दिष्ट वेतनमान के अनुसार ही स्टेग्नेशन वेतनवृद्धि/यों सहित उनके अगले उच्च वेतनमान पर और वेतनवृद्धियाँ प्रदान की जाएंगी बशर्ते कि वे सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार दक्षतारोध की स्थिति पार कर चुके हों।
(ग) मध्य प्रबंधन ग्रेड के अधिकतम वेतनमान II व III में पहुँच चुके अधिकारी, जिनका उल्लेख उक्त (ग) में किया गया है, वेतनमान II अथवा वेतनमान III, जैसा भी मामला हो, के अंतिम चरण पर पहुँचने के बाद के प्रत्येक 3 पूर्ण वर्षों के लिए स्टेग्नेशन वेतनवृद्धि पाएंगे बशर्ते कि वेतनमान II के अंतिम चरण पर पहुँच चुके अधिकारियों के लिए प्रति वेतनवृद्धि रु. 130/- की दर पर अधिकतम दो वेतनवृद्धियाँ होंगी और वेतनमान III के अंतिम चरण पर पहुँच चुके अधिकारियों के मामले में ऐसी वेतनवृद्धि रु. 140/- की होगी।	(ग) मध्य प्रबंधन ग्रेड के अधिकतम वेतनमान II व III में पहुँच चुके जिनका उल्लेख उक्त (ग) में किया गया, अधिकारी वेतनमान II अथवा वेतनमान III, जैसा भी मामला हो, के अंतिम चरण पर पहुँचने के बाद के प्रत्येक 3 पूर्ण वर्षों के लिए स्टेग्नेशन वेतनवृद्धि पाएंगे बशर्ते कि वेतनमान II के अंतिम चरण पर पहुँच चुके अधिकारियों हेतु प्रति वेतनवृद्धि रु. 230/- की दर पर अधिकतम दो वेतनवृद्धियाँ होंगी और वेतनमान III के अंतिम चरण पर पहुँचे अधिकारियों के मामले में ऐसी वेतनवृद्धि रु. 250/- की होगी। बशर्ते कि मूल वेतनमान III के अधिकारी अर्थात् वे जो वेतनमान III में पदोन्नत किए गए हैं अथवा भर्ती किए गए हैं प्रथम स्टेग्नेशन वेतनवृद्धि प्राप्त करने के तीन वर्ष बाद द्वितीय स्टेग्नेशन वेतनवृद्धि पाने के पात्र होंगे।
टिप्पणी : अगले उच्च वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धियाँ प्रदान करने का आशय पदोन्नति से नहीं होगा। ऐसी वेतनवृद्धियाँ प्राप्त करने के पश्चात् भी अधिकारी अपने मूल वेतनमान I अथवा वेतनमान II, जैसा भी मामला हो, का पद अथवा सुविधाएँ, अतिरिक्त भत्ता, काम, उत्तरदायित्व पाते रहेंगे।	**टिप्पणी :** अगले उच्च वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धियाँ प्रदान करने का आशय पदोन्नति से नहीं होगा। ऐसी वेतनवृद्धियाँ प्राप्त करने के पश्चात् भी अधिकारी अपने मूल वेतनमान अथवा वेतनमान II, जैसा भी मामला हो, का पद अथवा सुविधाएँ, अतिरिक्त भत्ता, काम, उत्तरदायित्व पाते रहेंगे।
(2) सी.ए.आई.आई.बी. परीक्षा के प्रत्येक भाग उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी।	(2) भारतीय बैंकर संस्थान का प्रमाणपत्रित एसोशिएट परीक्षा के प्रत्येक भाग उत्तीर्ण करने पर नियत तिथि को अथवा बाद में वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी। **स्पष्टीकरण - I :** किसी अधिकारी के मामले में, यदि उन्होंने नियत तिथि से पूर्व बतौर अधिकारी सी.ए.आई.आई.बी. परीक्षा भाग-I अथवा भाग-II उत्तीर्ण किया हो तो उन्हें नियत तिथि से अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धि, जैसा भी मामला हो, दी जाएगी बशर्ते कि उन्होंने उपर्युक्त परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने के लिए कोई वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं की हो अथवा एक ही वेतनवृद्धि प्राप्त की हो।
01.11.1987 को और से जो अधिकारी अधिकतम वेतनमान में पहुँचते हैं अथवा पहुँचे हैं एवं जो पदोन्नति के अलावा अन्य तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते वे सरकारी दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे और उन्हें सी.ए.आई.आई.बी. परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धि के स्थान पर निम्नवत व्यावसायिक भत्ता प्रदान किया जाए।	**स्पष्टीकरण - II :** (क) 01.11.1987 को अथवा से, जो अधिकारी अधिकतम वेतनमान में पहुँचते हैं अथवा पहुँचे हैं एवं जो पदोन्नति के अलावा अन्य तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते वे सरकारी दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे और उन्हें सी.ए.आई.आई.बी. परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धि के स्थान पर निम्नवत व्यावसायिक भत्ता प्रदान किया जाए :
जिन्होंने सी.ए.आई. आई.बी. का केवल — प्रतिमाह रु. 100/- एक वर्ष बाद, इसमें से रु. 75/- का हिसाब अधिवर्षिता लाभ के लिए	जिन्होंने सी.ए.आई. आई.बी.का केवल — रु. 100/- प्रतिमाह एक वर्ष बाद, इसमें से रु. 75/- का हिसाब अधिवर्षिता लाभ के

मौजूदा विनियम		प्रस्तावित संशोधन	
भाग-I उत्तीर्ण किए हों	किया जाएगा।	भाग-I उत्तीर्ण किए हों	लिए किया जाएगा।
जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हों	(i) रु. 100/- प्रतिमाह एक वर्ष बाद, इसमें से रु. 75/- का हिसाब अधिवर्षिता लाभ के लिए किया जाएगा।	जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हों	(i) रु. 100/- प्रतिमाह एक वर्ष बाद, इसमें से रु. 75/- का हिसाब अधिवर्षिता लाभ के लिए किया जाएगा।
	(ii) रु. 250/- प्रतिमाह दो वर्ष बाद, इसमें से रु. 200/- का हिसाब अधिवर्षिता लाभ के लिए किया जाएगा।		(ii) रु. 250/- प्रतिमाह एक वर्ष बाद, इसमें से रु. 200/- का हिसाब अधिवर्षिता लाभ के लिए किया जाएगा।
			(ख) 01.11.1994 को एवं से, अन्य विषय के समान होते हुए, व्यावसायिक योग्यता भत्ता निम्नवत् संशोधित होगा :
		जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी.का केवल भाग-I उत्तीर्ण किए हों	(i) रु. 120/- प्रतिमाह वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के एक वर्ष बाद ।
		जिन्होंने सी.ए.आई.आई. बी. के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हों	(i) रु. 120/- प्रतिमाह वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के 1 वर्ष बाद । (ii) रु. 300/- प्रतिमाह वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के 2 वर्ष बाद।
			बशर्ते कि विनियम 5(3)(ख)के अनुसार स्थायी व्यक्तिगत भत्ते पाने के पात्र अधिकारी ऐसे स्थायी व्यक्तिगत भत्ते की प्राप्ति के एक वर्ष/दो वर्ष के बाद भाग-I एवं भाग-II, जैसा भी हो, के लिए व्यावसायिक योग्यता भत्ता पाएंगे।

टिप्पणी :

यदि कोई अधिकारी, जो व्यावसायिक योग्यता भत्ता पा रहा है, अगले उच्च वेतनमान पर पदोन्नत होता है तो उसे, ऐसे उच्च वेतनमान के फिटमेंट पर, सी.ए.आई.आई.बी. उत्तीर्ण करने के लिए उस वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक अतिरिक्त वेतनवृद्धि/याँ प्रदान की जाएंगी यदि उस वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि उपलब्ध नहीं हो अथवा केवल एक ही वेतन-वृद्धि उपलब्ध हो तो वह अधिकारी वेतनवृद्धि/यों के स्थान पर व्यावसायिक योग्यता भत्ता पाने का पात्र होगा।

टिप्पणी :

(i) यदि कोई अधिकारी, जो व्यावसायिक योग्यता भत्ता पा रहा हो, अगले उच्च वेतनमान में पदोन्नत होता है तो उसे, ऐसे उच्च वेतनमान के फिटमेंट पर,सी.ए.आई.आई.बी. उत्तीर्ण करने के लिए उस वेतन-मान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक अतिरिक्त वेतनवृद्धि/याँ दी जाएंगी एवं यदि उस वेतनमान में केवल एक ही वेतनवृद्धि उपलब्ध हो अथवा कोई वेतनवृद्धि उपलब्ध नहीं हो तो वह अधि-कारी वेतनवृद्धि/यों के स्थान पर व्यावसायिक योग्यता भता पाने का पात्र होगा।

(ii) 01.11.1994 से संशोधित व्यावसायिक भत्ते का हिसाब महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते एवं अधिवार्षिता लाभों में किया जाएगा।

3. (क) 1 नवम्बर, 1993 को यथास्थिति बैंक की स्थायी सेवा में जो अधिकारी हैं वे सब वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि पाएंगे। जो अधिकारी 1 नवम्बर, 1993 को यथास्थिति परिवीक्षाधीन हैं वे स्थायीकरण के एक वर्ष बाद एक अग्रिम वेतनवृद्धि पाएंगे।

टिप्पणी : अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ख) यदि कोई अधिकारी 1 नवम्बर, 1993 को यथास्थिति अधिकतम वेतनमान पर हो अथवा स्टेग्नेशन वेतनवृद्धि/याँ पा रहा हो तो उसे स्थायी व्यक्तिगत भत्ता, जो आहरित अंतिम वेतनवृद्धि की राशि एवं उस पर 1 नवम्बर,1993 को देय महंगाई भता और विनियम 22 के अनुसार यथाप्रयोज्य दरों पर मकान किराया भत्ते के समान होगा, मिलेगा। मकान किराया भत्ते, यदि कोई हो, सहित नीचे दिया गया स्थायी व्यक्तिगत भत्ता सेवा की पूरी अवधि के लिए अपरिवर्तित रहेगा।

वेतनवृद्धि घटक	01.11.93 को यथास्थिति म.भ.	देय कुल एफपीए, जहाँ बैंक का आवास दिया जाता है
(क)	(ख)	(ग)
रु.	रु.	रु.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

टिप्पणी :

(i) उन अधिकारी कर्मचारियों को उक्त (ग) में यथादर्शित अनुसार एफ.पी.ए. देय होगा जिन्हें बैंक का आवास मकान प्राप्त हो।

(ii) मकान किराया भत्ते हेतु पात्र अधिकारियों के लिए एफ. पी. ए., (क) + (ख) + वह मकान किराया भत्ता होगा जो विनियम 4 के उप विनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट संगत वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि पाते समय आहरित किया जाएगा।

(iii) एफ.पी.ए. की प्राप्ति के वर्ष में देय व्यावसायिक योग्यता भत्ता, यदि कोई हो, अगले वर्ष में अंतरित माना जाएगा।

(iv) स्थायी व्यक्तिगत भत्ते के वेतनवृद्धि घटक का हिसाब अधिवार्षिता लाभ में किया जाएगा।

(ग) कोई अधिकारी जिसने यह अग्रिम वेतनवृद्धि पाई हो, वेतनमान के एक वर्ष बाद उक्त (ख) में यथाउल्लिखित स्थायी व्यक्तिगत भत्ते की राशि प्राप्त करेगा।

21. 01-11-1987 को एवं से महंगाई भत्ता योजना निम्नवत् होगी :

(i) अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य)

आधार 1960 = 100 के त्रैमासिक औसत में 600 अंकों से अधिक के अंकों के प्रत्येक चढ़ाव अथवा उतार के लिए महंगाई भत्ता देय होगा ।

(ii) निम्नांकित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता देय होगा :

(i) रु. 2500/- तक के "वेतन" का 0.67% जोड़ (+)

(ii) रु. 2500 से अधिक और रु. 4000/- तक के "वेतन" का 0.55 % जोड़ (+)

(iii) रु. 4000/- से अधिक और रु. 4260/- तक के "वेतन" का 0.33% जोड़ (+)

(iv) रु. 4260/- से अधिक "वेतन" का 0.17%

21. (1) 01-11-1987 को एवं से महंगाई भत्ता योजना निम्नवत् होगी :

(i) अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य)

आधार 1960 = 100 के त्रैमासिक औसत में 600 अंकों से अधिक के 4 अंकों के प्रत्येक चढ़ाव अथवा उतार के लिए महंगाई भत्ता देय होगा ।

(ii) निम्नांकित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता देय होगा :

(i) रु. 2500/- तक के "वेतन" का 0.67% जोड़ (+)

(ii) रु. 2500 से अधिक और रु. 4000/- तक के "वेतन" का 0.55 % जोड़ (+)

(iii) रु. 4000/- से अधिक और रु. 4260/- तक के "वेतन" का 0.33% जोड़ (+)

(iv) रु. 4260/- से अधिक "वेतन" का 0.17%

21. (2) 01-07-1993 को एवं से महंगाई भत्ता योजना निम्नवत् होगी :

(i) अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960 = 100 के त्रैमासिक औसत में 1148 अंकों से

अधिक के 4 अंकों के प्रत्येक चढ़ाव अथवा उतार के लिए महंगाई भत्ता देय होगा ।

(ii) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा :

(क) रु. 4800/=तक के "वेतन" का 0.35% जोड़ (+)

(ख) 4800/- से अधिक और रु. 7700/-तक के "वेतन" का 0.29% जोड़ (+)

(ग) रु. 7700 से अधिक और रु. 8200/- तक के "वेतन" का 0.17% जोड़ (+)

(घ) रु. 8200/- से अधिक के "वेतन" का 0.09%

टिप्पणी :

(i) महंगाई भत्ते के प्रयोजनार्थ "वेतन" का अर्थ गत्यावरोध वेतन वृद्धियों सहित मूल वेतन होगा ।

(ii) व्यावसायिक योग्यता भत्ते का हिसाब 01-11-1994 से महंगाई भत्ते में किया जाएगा ।

22. (1) 01-11-1987 को एवं से जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा निवास स्थान दिया जाता है वहां उस वेतनमान जिसमें उसे रखा गया है, के प्रथम प्रक्रम के वेतन का 6 % या निवास स्थान के लिए मानक, किराया, इनमें से जो भी कम हो अधिकारी से वसूल किया जाएगा।

22. (1) 01-11-1987 को एवं से जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा निवास स्थान दिया जाता है वहां उस वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के प्रथम चरण के मूल वेतन के 4 % के समान की राशि या निवास स्थान के लिए मानक, किराया, इनमें से जो भी कम हो, उस अधिकारी से वसूल किया जाएगा।

(2) 01-01-1990 को एवं से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा नहीं प्रदान की गई है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ते का पात्र होगा :

(2) 01-01-1990 को एवं से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा नहीं प्रदान की गई है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ते का पात्र होगा :

मौजूदा विनियम		**प्रस्तावित संशोधन**	
कॉलम -1	कॉलम-2	कॉलम -1	कॉलम-2
जहां कार्यस्थल निम्नांकित जगहों पर है	देय मंहगाई भत्ता निम्नांकित होगा	जहां कार्यस्थल निम्नांकित जगहों पर है	देय मंहगाई भत्ता निम्नांकित होगा
(i) सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार समय-समय पर "क" वर्ग के बड़े शहरों के रूप में निर्दिष्ट शहर तथा समूह "क" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र (प्रोजेक्ट एरिया सेंटर)	वेतन का 14% अधिकतम 450 रुपये प्रतिमाह	(i) सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार समय-समय पर "क" वर्ग के बड़े शहरों के रूप में निर्दिष्ट शहर तथा समूह "क" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र (प्रोजेक्ट एरिया सेंटर)	वेतन का 13% प्रतिमाह
(ii) क्षेत्र-I की अन्य जगहें एवं समूह "ख" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र ।	वेतन का 12 % अधिकतम 375 रुपये प्रतिमाह	(ii) क्षेत्र की अन्य जगहें एवं समूह "ख" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 12% प्रतिमाह
(iii) क्षेत्र-II तथा राज्यों की राजधानियां तथा संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियां, जो उपर्युक्त (i) एवं (ii) में शामिल न हों ।	वेतन का 10% अधिकतम 325 रुपये प्रतिमाह	(iii) क्षेत्र-II तथा राज्यों की राजधानियां तथा संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियां, जो उपर्युक्त (i) एवं (ii) में शामिल न हों ।	वेतन का $10\frac{1}{2}$% प्रतिमाह
(iv) क्षेत्र-III	वेतन का 8% अधिकतम 300 रुपये प्रतिमाह	(iv) क्षेत्र-III	वेतन का $9\frac{1}{2}$% प्रतिमाह

मौजूदा विनियम	प्रस्तावित संशोधन
बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता हो तो उसे उस वेतनमान, जिसमें वह रखा गया है, के प्रथम चरण के वेतनमान के 6% के ऊपर उसके आवासीय स्थान के लिए उसके द्वारा प्रदत्त वास्तविक किराया अथवा कॉलम II में प्रदर्शित दरें (अन्यथा देय अधिकतम 175% महंगाई भत्ता सहित), जो भी कम हो, बतौर मकान किराया भत्ता मिलेगा।	बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता हो तो उसे उस वेतनमान, जिसमें वह रखा गया है, के प्रथम चरण के वेतन के 4% के ऊपर उसके आवासीय स्थान के लिए उसके द्वारा प्रदत्त वास्तविक किराया अथवा कॉलम II में प्रदर्शित दरें (अन्यथा देय अधिकतम150% महंगाई भत्ता सहित), जो भी कम हो, बतौर मकान किराया भत्ता मिलेगा।
	नोट: (i) मकान किराया भत्ता के प्रयोजन हेतु "वेतन" से आशय मूल वेतन होगा जिसमें 01-07-1993 को यथास्थिति संशोधित वेतनमानों के अनुसार गत्यावरोध वेतनवृद्धियां शामिल होंगी। (ii) 01.11-1993 से व्यवसायिक योग्यता भत्ते को मकान किराया भत्ते हेतु हिसाब में लिया जाएगा।
23. (i)01.11.1987 को और से यदि वह नीचे दी गई तालिका के कॉलम I में उल्लिखित स्थान पर कार्य कर रहा है तो उसे कॉलम II में उस स्थान के सामने उल्लिखित दर पर नगर प्रतिपूर्ति भत्ता देय होगा, परन्तु गोवा राज्य में पणजी और मरमुगाव के शहरी समूह के अलावा, अन्य स्थानों हेतु नगर प्रतिपूर्ति भत्ते को छोड़कर, जहां यह 01.11.1987 को देय नहीं था, यह 20.08.1988 से देय होगा।	23. (i)01.07.1987 को यदि वह नीचे दी गई तालिका के कॉलम I में उल्लिखित स्थान पर कार्य कर रहा है तो उसे कॉलम II में उस स्थान के सामने उल्लिखित दर पर नगर पूर्ति भत्ता देय होगा।

स्थान (1)	दर (2)
(क) गोवा राज्य में क्षेत्र । के स्थान	6. मूलवेतन का 1/2% अधिकतम रु० 200/- प्रति माह
(ख) 5 लाख और अधिक जनसंख्या वाले वे स्थान और राज्यों की राजधानियां और चंडीगढ़, पांडिचेरी तथा पोर्टब्लेयर, जो ऊपर (क) में शामिल नहीं किए गए हैं।	मूल वेतन का 4% अधिकतम रु० 135/- प्रतिमाह

स्थान (1)	दर (2)
(क) गोवा राज्य में क्षेत्र । के स्थान	4. मूलवेतन का 1/2% अधिकतम रु० 335/- प्रति माह
(ख) 5 लाख और अधिक जनसंख्या वाले वे स्थान और राज्यों की राजधानियां और चंडीगढ़, पांडिचेरी तथा पोर्टब्लेयर, जो ऊपर (क) में शामिल नहीं किए गए हैं।	मूल वेतनका 1/2% अधिकतम रु० 230/- प्रतिमाह

24.(i) प्रत्येक अधिकारी अपने और अपने कुटुम्ब हेतु उसके द्वारा वास्तव में उपगत चिकित्सीय व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, अर्थात्	24.(i) प्रत्येक अधिकारी अपने और अपने कुटुम्ब हेतु उसके द्वारा वास्तव में उपगत चिकित्सीय व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, अर्थात्
(क) **चिकित्सीय व्यय** 01-01-1990 को और से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ । में विनिर्दिष्ट वेतन परास (पे रेंज) में किसी अधिकारी और कुटुम्ब के चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति, स्वयं अधिकारी को, इस प्रमाण पत्र के आधार पर, कि उसने ऐसा व्यय उपगत किया है, जिसके समर्थनस्वरूप दावाकृत रकमों के लिए विवरण दिया जाएगा, सारणी के स्तंभ II में विनिर्दिष्ट सीमा तक की जा सकेगी।	(क) **चिकित्सीय व्यय** 01-01-1994 को और से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ I में विनिर्दिष्ट वेतन परास (पे रेंज) में किसी अधिकारी और कुटुम्ब के चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति, स्वयं अधिकारी को, इस प्रमाण पत्र के आधार पर, कि उसने ऐसा व्यय उपगत किया है, जिसके समर्थनस्वरूप दावाकृत रकमों के लिए विवरण दिया जाएगा, सारणी के स्तंभ II में विनिर्दिष्ट सीमा तक की जा सकेगी।

सारणी

वेतन परास (1)	प्रतिपूर्ति (2)
रु० 2,100/- से रु० 3060/- प्रतिमाह	रु० 750/-
रु० 3061/- और अधिक	रु० 1000/-

सारणी

वेतन परास (1)	प्रतिपूर्ति (2)
कनिष्ठ प्रबन्धन तथा मध्य प्रबन्धन ग्रेड	रु० 1500/-
वरिष्ठ प्रबन्धन तथा शीर्षस्थ प्रबन्धन ग्रेड	रु० 2000/-

मौजूदा विनिमय	प्रस्तावित संशोधन
नोट:	नोट:
किसी अधिकारी को उपभोग न की गई चिकित्सीय सहायता को संचित करने की अनुमति दी जा सकेगी बशर्ते कि यह किसी भी समय ऊपर उल्लिखित राशि के तीन गुणा से अधिक न हो।	(i) किसी अधिकारी को उपभोग न की गई चिकित्सीय सहायता को संचित करने की अनुमति दी जा सकेगी बशर्ते कि यह किसी भी समय ऊपर उल्लिखित राशि के तीन गुणा से अधिक न हो। (ii) वर्ष 1994 हेतु चिकित्सीय सहायता योजना के अन्तर्गत चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति दो माह अर्थात् नवम्बर और दिसम्बर, 1994 हेतु समानुपातिक आधार पर बढ़ाई जाएगी।
स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी का "कुटुम्ब" केवल पति/पत्नि, पूर्णतया आश्रित संतान और पूर्णत: आश्रित माता-पिता से मिलकर बनेगा।	स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी का "कुटुम्ब" केवल पति/पत्नि, पूर्णतया आश्रित संतान और पूर्णत: आश्रित माता-पिता से मिलकर बनेगा।
(ख) अस्पताल में भर्ती व्यय :	(ख) अस्पताल में भर्ती व्यय :
(i) 01-04-1989 को और से अस्पताल में भर्ती प्रभारों को अधिकारी के मामले में 90% तक और इसके कुटुम्ब के सदस्यों के मामलों में 60% तक प्रतिपूर्ति उस स्थिति में की जाएगी जिसमें अस्पताल में भर्ति होना आवश्यक था। उपगत किए गए व्यय की बिलों, वाउचरों आदि के आधार पर प्रतिपूर्ति समय-समय पर सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित उच्चतम सीमा के अधीन होगी।	(i) 01-11-1994 को और से अस्पताल में भर्ती प्रभारों को अधिकारी के मामले में 100% तक और इसके कुटुम्ब के सदस्यों के मामलों में 75% तक प्रतिपूर्ति उस स्थिति में की जाएगी जिसमें अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक था। उपगत किए गए व्यय की बिलों, वाउचरों आदि के आधार पर प्रतिपूर्ति समय-समय पर सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित उच्चतम सीमा के अधीन होगी।
(ii) अधिकारियों या उनके कुटुम्ब के सदस्यों, (जैसी भी स्थिति हो) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी या नगरपालिका अस्पताल में या किसी प्राइवेट अस्पताल में अर्थात् किसी न्यास, धर्मार्थ संस्था या धार्मिक मिशन द्वारा प्रतिबंधित अस्पतालों में भर्ती हों। किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारी या उनके कुटुम्ब के सदस्य या दोनों किसी अनुमोदित प्राइवेट नर्सिंग होम या बैंक द्वारा अनुमोदित प्राइवेट अस्पतालों की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। किन्तु ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति उस रकम तक निबंधित होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति उस स्थिति में की जाती जब रोगी को ऊपर उल्लिखित किसी अस्पताल में भर्ती किया जाता।	(ii) अधिकारियों या उनके कुटुम्ब के सदस्यों, (जैसी भी स्थिति हो) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी या नगरपालिका अस्पताल में या किसी प्राइवेट अस्पताल में अर्थात् किसी न्यास, धर्मार्थ संस्था या धार्मिक मिशन द्वारा प्रतिबंधित अस्पतालों में भर्ती हों। किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारी या उनके कुटुम्ब के सदस्य या दोनों किसी अनुमोदित प्राइवेट नर्सिंग होम या बैंक द्वारा अनुमोदित प्राइवेट अस्पतालों की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। किन्तु ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति उस रकम तक निबंधित होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति उस स्थिति में की जाती जब रोगी को ऊपर उल्लिखित किसी अस्पताल में भर्ती किया जाता।
(iii) 01-04-1994 को और से निम्नलिखित बिमारियों, जिनके लिए आवासीय चिकित्सा की आवश्यकता है जो अधिकृत अस्पताल प्राधिकारियों तथा बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित की गई हो, के संबंध में किया गया चिकित्सा व्यय अस्पताल में भर्ती व्यय के रूप में माना जाएगा तथा किसी अधिकारी के मामले में 90% तथा उसके कुटुम्ब के सदस्यों के मामलों में 60% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। कैंसर, क्षयरोग, लकवा, हृदयरोग, गांठ (ट्यूमर), चेचक, प्लुरोसी, डिप्थीरिया, कुष्ठरोग, गुर्दे का रोग।	(iii) 01-11-1994 को और से निम्नलिखित बिमारियों, जिनके लिए आवासीय चिकित्सा की आवश्यकता है जो अधिकृत अस्पताल प्राधिकारियों तथा बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित की गई हो, के संबंध में किया गया चिकित्सा व्यय अस्पताल में भर्ती व्यय के रूप में माना जाएगा तथा किसी अधिकारी के मामले में 100% तथा उसके कुटुम्ब के सदस्यों के मामलों में 75% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। कैंसर, ल्यूकेमा, थलसेमिया, क्षयरोग, लकवा, हृदयरोग, कुष्ठरोग, गुर्दे का रोग एपीलेप्सी, पर्किन्सन्स रोग, मनोविकृति और मधुमेह।
	नोट:
	घरेलू उपचार के संबंध में औषधियों आदि की लागत की विशेषज्ञ के नुसखे में उल्लिखित अवधि हेतु प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि नुस्खे में किसी अवधि का उल्लेख नहीं है तो प्रतिपूर्ति के प्रयोजन हेतु 90 दिनों से अनधिक अवधि वैध मानी जाएगी।

मौजूदा विनियम

(2) उपविनियम I में सूचीबद्ध लाभों के (जिनके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होना आदि भी शामिल है) होते हुए भी और उसके अपूर्ण प्रतिस्थापन में, बोर्ड उन चिकित्सीय लाभों (जिसमें अस्पताल में होना आदि शामिल है) को, जो नियत तारीख को बैंक में उपलब्ध है, अपरिवर्तित रूप में प्रतिधारित करने का विनिश्चय कर सकेगा और यदि बोर्ड ऐसा विनिश्चय करता है तो सभी अधिकारी उन निबंधनों और शर्तों के अनुसार ही चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे जो नियत तारीख को चिकित्सीय लाभों के अनुदान (अस्पताल में भर्ती आदि सहित) हेतु बैंक में प्रचलित थी।

(3) चिकित्सीय सहायता और अस्पताल में भर्ती की सुविधाएं ऐसे अधिकारियों को भी अनुज्ञेय होगी जो निलम्बनाधीन हैं।

25. 1.11.1987 को और से कोई भी अधिकारी अधिकार के रूप में, बैंक द्वारा निवास स्थान पाने का हकदार नहीं होगा तथापि यह बैंक पर निर्भर करेगा कि अधिकारी द्वारा अपने उस वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के प्रथम चरण (स्टेज) के वेतनमान में मूल वेतन का 6% या निवास स्थान का मानक किराया जो भी कम हो, का संदाय करने पर निवास स्थान की व्यवस्था करे।

बशर्ते कि वेतनमान के प्रथम चरण के वेतन के 1-1/2 % के समतुल्य राशि भी उस अधिकारी से बैंक द्वारा वसूली जाएगी जिसे ऐसे आवास में फर्नीचर प्रदान किए गए हों।

बशर्ते यह भी है कि जहां बैंक द्वारा ऐसा आवासीय स्थान प्रदान किया जाता है वहां के इलेक्ट्रिसिटी, पानी, गैस एवं मल सफाई व्यवस्था संबंधी खर्च अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।

41. (4) 1-6-1991 को एवं से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-1 में उप वर्णित श्रेणी / वेतनमान का अधिकारी उसके समवर्ती स्तम्भ 2 में उपवर्णित तत्स्थानी दरों पर विराम भत्ते का हकदार होगा।

(1)	(2) दैनिक भत्ता (रुपयों में)		
अधिकारियों के श्रेणी/वेतनमान	प्रमुख "क" वर्ग नगर	क्षेत्र-I	अन्य स्थान
वेतनमान-IV एवं अधिक के अधिकारी	120.00	100.00	85.00
वेतनमान-I/II/III/ के अधिकारी	100.00	85.00	75.00

बशर्ते कि :—

(क) जहां अनुपस्थिति की अवधि 8 घंटों से कम है किन्तु 4 घंटों से अधिक है तो उक्त दरों से आधी दरों पर विराम भत्ता संदेय होगा।

प्रस्तावित संशोधन

(2) उपविनियम I में सूचीबद्ध लाभों के (जिनके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होना आदि भी शामिल है) होते हुए भी और उसके अपूर्ण प्रतिस्थापन में, बोर्ड उन चिकित्सीय लाभों (जिसमें अस्पताल में होना आदि शामिल है) को, जो नियत तारीख को बैंक में उपलब्ध है, अपरिवर्तित रूप में प्रतिधारित करने का विनिश्चय कर सकेगा और यदि बोर्ड ऐसा विनिश्चय करता है तो सभी अधिकारी उन निबंधनों और शर्तों के अनुसार ही चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे जो नियत तारीख को चिकित्सीय लाभों के अनुदान (अस्पताल में भर्ती आदि सहित) हेतु बैंक में प्रचलित थी।

(3) चिकित्सीय सहायता और अस्पताल में भर्ती की सुविधाएं ऐसे अधिकारियों को भी अनुज्ञेय होगी जो निलम्बनाधीन हैं।

25. कोई भी अधिकारी अधिकार के रूप में, बैंक द्वारा निवास स्थान पाने का हकदार नहीं होगा। तथापि यह बैंक पर निर्भर होगा कि वह 1-11-94 को और से अधिकारी द्वारा उस वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के प्रथम चरण (स्टेज) के मूल वेतन का 4% या निवास स्थान का मानक किराया जो भी कम हो, का संदाय करने पर निवास स्थान की व्यवस्था करे।

बशर्ते कि वेतनमान के प्रथम चरण के वेतन के 1 % के समतुल्य राशि भी उस अधिकारी से बैंक द्वारा वसूली जाएगी जिसे ऐसे आवास में फर्नीचर प्रदान किए गए हों।

बशर्ते यह भी है कि जहां बैंक द्वारा ऐसा आवासीय स्थान प्रदान किया जाता है वहां के इलेक्ट्रिसिटी, पानी, गैस एवं मल सफाई व्यवस्था संबंधी खर्च अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।

41. (4) 1-6-1995 को एवं से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-I में उप वर्णित श्रेणी/वेतनमान का अधिकारी उसके समवर्ती स्तम्भ-II में उपवर्णित तत्स्थानी दरों पर विराम भत्ते का हकदार होगा।

(1)	(2) दैनिक भत्ता (रुपयों में)		
अधिकारियों के श्रेणी/वेतनमान	प्रमुख "क" वर्ग नगर	क्षेत्र-I	अन्य स्थान
वेतनमान-IV एवं अधिक के अधिकारी	250.00	200.00	175.00
वेतनमान-I/II/III/ के अधिकारी	200.00	175.00	150.00

बशर्ते कि :—

(क) जहां अनुपस्थिति की अवधि 8 घंटों से कम है किन्तु 4 घंटों से अधिक है तो उक्त दरों से आधी दरों पर विराम भत्ता संदेय होगा।

मौजूदा विनिमय

(ख) विभिन्न श्रेणियों / वेतनमान के अधिकारियों को नीचे दी गई सीमाओ के अधीन आई टी डी सी होटलों में एकल कमरे के आवासीय प्रभार तक वास्तविक होटल व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी :—

दैनिक भत्ता (रु०)

अधिकारियों का ग्रेड/ वेतनमान	ठहरने की पात्रता	प्रमुख "ए" श्रेणी के शहर	क्षेत्र-I	अन्य स्थान
1	2	3	4	5
स्केल VI और VII	4 *होटल	120.00	100.00	85.00
स्केल IV और V	3 *होटल	120.00	100.00	85.00
स्केल II और III	2 *होटल (नान-एसी)	100.00	85.00	75.00
स्केल I	1 *होटल (नान-एसी)	100.00	85.00	75.00

(ग) जहां आवास बैंक की लागत पर उपलब्ध कराया जाता है/बैंक के माध्यम से नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाती है, वहां 3/4 विराम-भत्ता अनुज्ञेय होगा।

(घ) जहां भोजन बैंक की लागत पर उपलब्ध कराया जाता है/बैंक के माध्यम से नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाती है, वहां 1/2 विराम-भत्ता अनुज्ञेय होगा।

(ङ) जहां आवास एवं भोजन की व्यवस्था बैंक के खर्चे पर/बैंक के माध्यम से नि:शुल्क प्रदान की जाती है वहां विराम-भत्ते का 1/4 अनुज्ञेय होगा। परन्तु, जहां कोई अधिकारी किए गए वास्तविक व्यय संबंधी बिल प्रस्तुत किए बगैर भोजन खर्च का दावा करता हो तो वह विराम भत्ते का 1/4 पाने का पात्र नहीं होगा।

(च) 1.1.1987 को और से समस्त निरीक्षण अधिकारियों के लिये मुख्यालय से बाहर विराम के लिये प्रतिदिन 10/- रुपये की दर पर अनुपूरक भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :

विराम भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिये "प्रतिदिन" से 24 घंटे की प्रत्येक अवधि अथवा उसका पश्चात्वर्ती भाग अभिप्रेत है। जिसकी गणना वायुयान द्वारा यात्रा की दशा में प्रस्थान हेतु रिपोर्ट करने के समय से तथा अन्य दशाओं में प्रस्थान के अनुसूचित समय से आगमन के वास्तविक समय तक की जाएगी। जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है, वहां "प्रतिदिन" से कम से कम 8 घंटे की अवधि अभिप्रेत है।

42.(2)(1) 1.11.1987 को और से स्थानांतरण पर अधिकारी को मालगाड़ी द्वारा अपने सामान के परिवहन के लिये व्यय की निम्नलिखित सीमाओं तक प्रतिपूर्ति की जाएगी :

प्रस्तावित संशोधन

(ख) विभिन्न श्रेणियों / वेतनमान के अधिकारियों को नीचे दी गई सीमाओ के अधीन आई टी डी सी होटलों में एकल कमरे के आवासीय प्रभार तक वास्तविक होटल व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी :—

भोजन प्रभार (रु०)

अधिकारियों का ग्रेड/ वेतनमान	ठहरने की पात्रता	प्रमुख "ए" श्रेणी के शहर	क्षेत्र-I	अन्य स्थान
1	2	3	4	5
स्केल VI और VII	4 *होटल	250.00	200.00	175.00
स्केल IV और V	3 *होटल	250.00	200.00	175.00
स्केल II और III	2 *होटल (नान-एसी)	200.00	175.00	150.00
स्केल I	1 *होटल (नान-एसी)	200.00	175.00	150.00

(ग) बोर्ड सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त अनुबंध (ख) के निर्धारित सीमाओं से अधिक अतिरिक्त सीमा की प्रतिपूर्ति निर्धारित कर सकेगा।

(घ) जहां आवास बैंक की लागत पर उपलब्ध कराया जाता है/बैंक के माध्यम से नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाती है, वहां 3/4 विराम-भत्ता अनुज्ञेय होगा।

(ङ) जहां भोजन बैंक की लागत पर उपलब्ध कराया जाता है/बैंक के माध्यम से नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाती है, वहां 1/2 विराम-भत्ता अनुज्ञेय होगा।

(च) जहां आवास एवं भोजन की व्यवस्था बैंक के खर्चे पर/बैंक के माध्यम से नि:शुल्क प्रदान की जाती है वहां विराम-भत्ते का 1/4 अनुज्ञेय होगा। परन्तु, जहां कोई अधिकारी किए गए वास्तविक व्यय संबंधी बिल प्रस्तुत किए बगैर भोजन खर्च का दावा करता हो तो वह विराम भत्ते का 1/4 पाने का पात्र नहीं होगा।

(छ) समस्त निरीक्षण अधिकारियों के लिये मुख्यालय से बाहर विराम के लिये प्रतिदिन 10/- रुपये की दर पर अनुपूरक भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :

विराम भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिये "प्रतिदिन" से 24 घंटे की प्रत्येक अवधि अथवा उसका पश्चात्वर्ती भाग अभिप्रेत है। जिसकी गणना वायुयान द्वारा यात्रा की दशा में प्रस्थान हेतु रिपोर्ट करने के समय से तथा अन्य दशाओं में प्रस्थान के अनुसूचित समय से आगमन के वास्तविक समय तक की जाएगी। जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है, वहां "प्रतिदिन" से कम से कम 8 घंटे की अवधि अभिप्रेत है।

42.(2)(1) 1.7.1993 को और से स्थानांतरण पर अधिकारी को मालगाड़ी द्वारा अपने सामान के परिवहन के लिये व्यय की निम्नलिखित सीमाओं तक प्रतिपूर्ति की जाएगी :

मौजूदा विनियम

वेतन परास	जहां उसका कुटुंब है	जहां उसका कुटुंब नहीं है
रु. 2100/- प्रतिमाह से रु. 3060/- प्रतिमाह तक	3000 कि. ग्रा.	1000 कि. ग्रा.
रु. 3061/ प्रतिमाह और उससे अधिक	पूरा वैगन	2000 कि. ग्रा.

प्रस्तावित संशोधन

वेतन परास	जहां उसका कुटुंब है	जहां उसका कुटुंब नहीं है
रु. 4200/- प्रतिमाह से रु. 6210/- प्रतिमाह तक	3000 कि. ग्रा.	1000 कि. ग्रा.
रु. 6211/ प्रतिमाह और उससे अधिक	पूरा वैगन	2000 कि. ग्रा.

45. भविष्य निधि :

(i) प्रत्येक अधिकारी जब तक कि वह बैंक द्वारा गठित भविष्य निधि का पहले ही सदस्य न हो, उस भविष्य निधि का सदस्य बनेगा और ऐसी निधि को शासित करने वाले नियमों से आबद्ध होने के करार करेगा।

(ii) बैंक समय-समय पर, भविष्य निधि को शासित करने वाले नियमों के अनुसार भविष्य निधि में अभिदान करेगा। परन्तु उसके द्वारा अभिदाय की गई रकम दिनांक 1-11-1987 से 31-12-1988 तक को और से अधिकारी के वेतन के 80% के 10%, एवं 1-11-1989 से 31-12-1984 तक को और से 90% के 10% एवं 1-11-1989 को और से 10% से अधिक नहीं होगी।

45. भविष्य निधि एवं पेंशन :

(i) प्रत्येक अधिकारी जब तक कि वह बैंक द्वारा गठित भविष्य निधि का पहले ही सदस्य न हो, उस भविष्य निधि का सदस्य बनेगा और ऐसी निधि को शासित करने वाले नियमों से आबद्ध होने के करार करेगा।

(ii) भविष्य निधि के जो नियम बनाए गए हैं वे 01-11-1993 को और से निम्नवत लागू होंगे :

(क) पेंशन योजना द्वारा शासित किसी अधिकारी के मामले में, केवल अधिकारी ही वेतन के 10% को भविष्य निधि में अभिदाय करेगा और इसमें बैंक की तरफ से कोई सम-अभिदाय नहीं होगा।

बशर्ते कि 01-07-1993 से 31-10-1993 तक की अवधि के लिये पहले ही किए गए भविष्य निधि अभिदायों का कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।

(ख) यदि कोई अधिकारी पेंशन योजना द्वारा शासित नहीं हो तो भविष्य निधि का अभिदाय, अधिकारी का अभिदाय एवं बैंक द्वारा सम-अभिदाय मिलाकर वेतन के 10% की दर किया जाएगा।

बशर्ते कि 01-07-1993 से 31-10-1993 की अवधि के लिये पहले ही किए गए अभिदायों का कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।

(3) 29-09-1995 को अथवा बाद में बैंक की सेवा में भर्ती हुए अधिकारी पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे :

बशर्ते कि निम्नलिखित श्रेणियों के अधिकारी पेंशन योजना द्वारा आच्छादित नहीं होंगे :

(क) कोई अधिकारी जो 29-09-1995 से पूर्व सेवा में था जब तक कि उसने बैंक के नोटिस की प्रतिक्रिया स्वरूप पेंशन योजना में सदस्य बनने के लिये विशिष्ट रूप से विकल्प नहीं दिया हो।

(ख) कोई अधिकारी जो 29-09-1995 को अथवा बाद में 35 वर्ष की आयु पर भर्ती होता है एवं जिसने पेंशन योजना की शर्तों के अनुसार अपना पेंशन छोड़ने का विकल्प किया है।

नोट : भविष्य निधि के प्रयोजन हेतु वेतन से आशय मूल वेतन से होगा जिसमें गत्यावरोध वेतन वृद्धियां, स्थानापन्न भत्ता, व्यावसायिक योग्यता भत्ता तथा स्थायी व्यक्तिगत भत्ते का वेतनवृद्धि घटक शामिल होगा।

मौजूदा विनिमय

46. ग्रेच्यूटी :

(1) प्रत्येक अधिकारी निम्नलिखित परिस्थिति में ग्रेच्यूटी का पात्र होगा :

(क) सेवा निवृत्ति

(ख) मृत्यु

(ग) अपंगता, जिसके कारण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा आगे सेवा हेतु अयोग्य प्रमाणित किया गया हो।

(घ) 10 वर्षों की लगातार सेवा पूरी करने के पश्चात् त्यागपत्र अथवा

(ङ) 10 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् दंड के अलावा अन्य रूप में सेवा की समाप्ति।

परन्तु यह कि अधिकारियों के संबंध में नियत तारीख को बैंक में मौजूदा अनुपूरक पेंशन योजना ग्रेच्यूटी के स्थान पर जारी रहेगी।

2. किसी अधिकारी को संदेय ग्रेच्यूटी की राशि पूर्ण की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष हेतु एक माह का वेतन होगा जो अधिकतम 15 माह के वेतन तक होगा।

परन्तु यह कि जहां किसी अधिकारी ने 30 वर्षों की सेवा पूरी की है वहां वह तीस वर्षों की सेवा के बाद पूरे किए जाने वाले प्रत्येक वर्ष हेतु माह के वेतन के आधे की दर से अतिरिक्त रकम की ग्रेच्यूटी पाने का पात्र होगा।

मौजूदा विनिमय

नोट :

यदि पूर्ण की गई सेवा के वर्षों के बाद सेवा का अंश छः माह या अधिक हो तो ग्रेच्यूटी का भुगतान उस अवधि हेतु समानुपाती आधार पर किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन

46. ग्रेच्यूटी :

(1) प्रत्येक अधिकारी निम्नलिखित परिस्थिति में ग्रेच्यूटी का पात्र होगा :

(क) सेवा निवृत्ति

(ख) मृत्यु

(ग) अपंगता, जिसके कारण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा आगे सेवा हेतु अयोग्य प्रमाणित किया गया हो।

(घ) 10 वर्षों की लगातार सेवा पूरी करने के पश्चात् त्यागपत्र अथवा

(ङ) 10 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् दंड के अलावा अन्य रूप में सेवा की समाप्ति।

परन्तु यह कि नियत तारीख को इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 में परिकल्पित पेंशन योजना हेतु विकल्प न देने वाले अधिकारियों के संबंध में ग्रेच्यूटी के स्थान पर मौजूदा अनुपूरक पेंशन योजना अन्यथा इलाहाबाद बैंक कर्मचारी पेंशन योजना (पुरानी) नामक योजना जारी रहेगी।

2. किसी अधिकारी को संदेय ग्रेच्यूटी की राशि पूर्ण की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष हेतु एक माह का वेतन होगा जो अधिकतम 15 माह के वेतन तक होगा।

परन्तु यह कि जहां किसी अधिकारी ने 30 वर्षों की सेवा पूरी की है वहां वह तीस वर्षों की सेवा के बाद पूरे किए जाने वाले प्रत्येक वर्ष हेतु माह के वेतन के आधे की दर से अतिरिक्त रकम की ग्रेच्यूटी पाने का पात्र होगा।

प्रस्तावित संशोधन

परन्तु यह भी कि 01-07-1993 से 31-10-1994 की अवधि के दौरान जिस अधिकारी की सेवाएं समाप्त हो रही हो, उसकी ग्रेच्यूटी के प्रयोजन हेतु वेतन विनियम 4 के उप विनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट वेतनमान के संबंध में होगा।

नोट :

यदि पूर्ण की गई सेवा के वर्षों के बाद सेवा का अंश छः माह या अधिक हो तो ग्रेच्यूटी का भुगतान उस अवधि हेतु समानुपाती आधार पर किया जाएगा।

कृते इलाहाबाद बैंक
आर. के. नाथ, सहायक महाप्रबन्धक
(कार्मिक व प्रशा.)

पाद टिप्पणी :—उक्त विनियम में पूर्व में किए गए संशोधन दिनांक ..... की अधिसूचना संख्या ..... के तहत राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं।

ALLAHABAD BANK

NOTIFICATION

Calcutta, the 6th November, 1996

No. Admn./5/1656.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with Sub-Section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Allahabad Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

CHAPTER—1

1. Short title and commencement :

(i) These Regulations may be called Allahabad Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1996.

(ii) Save as otherwise expressly provided in these Regulations, these Regulations shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as principal Regulations), for Regulation 4 the following may be substituted namely :—

Existing Regulation	Proposed Amendment
1	2
4. (1) On and from 01-02-1984, there shall be the following four grades for Officers with the scale of pay specified against each of the grades : (a) Top Executive Grade : Scale VII Rs. 4,100-125-4,600 Scale VI Rs. 3,850-125-4,350 (b) Senior Management Grade : Scale V Rs. 3,575-110-3,685-115-3,800 Scale IV Rs. 2,925-105-3,450 (c) Middle Management Grade : Scale III Rs. 2,650-100-3,250 Scale II Rs. 1,825-100-2,825. (d) Junior Management Grade : Scale I Rs. 1,175-60-1,475-70-1,895-EB-95-2275-100-2675	4. (1) On and from 01-11-1987, the scales of pay specified against each grade shall be a under : (a) Top Executive Grade : Scale VII Rs. 6,40[illegible]50-7,000 Scale VI Rs. 5,950-150-6,550. (b) Senior Management Grade : Scale V Rs. 5,350-150-5,950 Scale IV Rs. 4,520-130-4,910-140-5,050-150-5,350 (c) Middle Management Grade : Scale III Rs. 4,020-120-4,260-130-4,910 Scale II Rs. 3,060-120-4,260-130-4,390. (d) Junior Management Grade : Scale I Rs. 2,100-120-4,020.
4. (2) On and from 01-11-1987, the scales of pay specified against each grade shall be as under : (a) Top Executive Grade : Scale VII Rs. 6,400-150-7,000 Scale VI Rs. 5,950-150-6,550. (b) Senior Management Grade : Scale V Rs. 5,350-150-5,950 Scale IV Rs. 4,520-130-4,910-140-5,050-150-5,350. (c) Middle Management Grade : Scale III Rs. 4,020-120-4,260-130-4,910 Scale II Rs. 3,060-120-4,260-130-4,390. (d) Junior Management Grade : Scale I Rs. 2,100-120-4,020.	4. (2) On and from 01-07-1993, the scales of pay specified against each grade shall be revised as under : (a) Top Executive Grade : Scale VII Rs. 12,650-300-13,250-350-13,600-400-14,000 Scale VI Rs. 11,450-300-12,650. (b) Senior Management Grade : Scale V Rs. 10,450-250-11,450 Scale IV Rs. 8,970-230-9,200-250-10,450. (c) Middle Management Grade : Scale III Rs. 8,050-230-9,200-250-9,700 Scale II Rs. 6,210-230-8,740. (d) Junior Management Grade : Scale I Rs. 4,250-230-4,940-350-5,290-230-8,050.
Provided that every Officer who is governed by the scale of pay as in force on the appointed date having been fitted into the said scale of pay in accordance with the guidelines of the Government issued under Regulation 8, shall be fitted in the scale of pay set out above in accordance with the guidelines of the Government.	4. (3) Nothing in sub-regulations (i) and (ii) shall be construed as requiring the Bank to have at all time, Officers serving in all these grades.

1	2
(2) Nothing in Sub-regulation (1) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, Officers serving in all these grades.	
5. (1) On and from 01-11-1987, the increments shall be granted subject to the following Sub-Clauses :	5. (1) Subject to the provisions of Regulation 4(2), on and from 01-11-1992 the increment shall be granted subject to the following sub-clauses :
(a) The increments specified in the scales of pay set out in Regulation 4(1) shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the the first day of the month in which these fall due.	(a) The increments specified in the scales of pay set out in Regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the frist day of the month in which these fall due.
(b) Officers in Scale I and Scale II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar.	(b) Officers in Scale I and Scale II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government.
(c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III as the case may be, subject to a maximum of two such increments of Rs. 130 each for Officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs. 140 for Officers in the last stage of Scale-III.	(c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III as the case may be subject to a maximum of two such increments Rs. 230/- each for officers in the last stage of scale II and one such increment of Rs. 250/- for Officers in the last stage of Scale III. Provided that on and from 01-11-1994 Officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment.
Note : Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or post of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.	**Note** : Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.
(2) An additional increment shall be granted in the scale of pay for pssing each part of C.A.I.I.B. Examination.	(2) An additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination on or after the appointed date. **Explanation—I** In the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an Officer before the appointed date, the additional increment, or increment as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said examination.

1	2
On and from 01-11-1987 Officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, he granted Professional Qualification allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under :	**Explanation—II :** (a) On and from 01-11-1987 Officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under :
Those who have passed only Part-I CAIIB — Rs. 100/- p.m. After one year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.	Those who have passed only Part-I CAIIB — Rs. 100/- p.m. after one year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed both parts of CAIIB — (i) Rs. 100/- p.m. after one year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits. (ii) Rs. 250/- p.m. after 2 years, of which Rs.200/- shall rank for superannuation benefits.	Those who have passed both parts of CAIIB — (i) Rs. 100/- p.m. after one year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits. (ii) Rs. 250/- p.m. after 2 years, of which Rs. 200/- shall rank for superannuation benefits.
	(b) On and from 01-11-1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as under :
	Those who have passed only Part I of CAIIB — (i) Rs. 120/- p.m. after one year on reaching top of the scale.
	Those who have passed both parts of CAIIB — (i) Rs. 120/- p.m. after one year on reaching top of the Scale. (ii) Rs. 300/- p.m. after 2 years on reaching the top if the Scale:
	Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal Allowance in terms of Regulation 5(3)(b) shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be.
Note: If an Officer who is in receipt of Professional Qualification Allowance is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment into such higher scale, additional increment(s) for passing CAIIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale or only one increment is available in the scale, the Officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment(s).	**Note :** (i) If an Officer who is in receipt of Professional Qualification Allowance is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment into such higher scale, additional increment(s) for passing CAIIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the Scale or only one increment is available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment(s). (ii) On and from 01-11-1994 revised Professional Qualification Allowance shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and Superannuation Benefits.
	3. (a) All Officers who are in the Bank's permanent service as on 1st November, 1993 will get one advance increment in the scale of pay. Officers who are on probation on 1st November, 1993 will get one advance increment one year after confirmation.

1	2

Note : There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

(b) An Officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st November, 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from 1st November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st November, 1993, plus house rent allowance, at such rates as applicable in terms of Regulation 22. The Fixed Personal Allowance given hereunder together with House Rent Allowance, if any, shall remain Frozen for the entire period of service :

Increment Component	D.A. as on 11-11-93	Total FPA payable where bank's accommodation is provided
(A)	(B)	(C)
Rs.	Rs.	Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

Note :

(i) F.P.A. as indicated in (C) above shall be payable to those officer employees who are provided with Bank's accommodation.

(ii) F.P.A. for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A) + (B) + House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) of Regulation 4 is earned.

(iii) Professional Qualification Allowance, if any, payable in the year of receipt of F.P.A. shall stand shifted to next year.

(iv) The increment component of Fixed Personal Allowance shall rank for superannuation benefits.

(c) An Officer who has earned this advance increment shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance as mentioned in (b) above, one year after reaching the maximum of the scale.

21. On and from 01-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960 = 100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :

(i) 0.67% of 'Pay' upto Rs. 2,500/- plus,

(ii) 0.55% of 'Pay' above Rs. 2,500/-

21. (1) On and from 01-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class consumer Price Index (General) Base 1960 = 100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :

(i) 0.67% of 'Pay' upto Rs. 2,500/- plus,

(ii) 0.55% of 'Pay' above Rs. 2,500/-

1	2
Rs. 4,000/- plus, (iii) 0.33% of 'Pay' above Rs. 4,000/- Rs. 4,260/- plus, (iv) 0.17% of 'Pay' above Rs. 4,260/-	Rs. 4,000/- plus, (iii) 0.33% of 'Pay' above Rs. 4,000/- Rs. 4,260/- plus, (iv) 0.17% of 'Pay' above Rs. 4,260/-.
	21. (2) On and from 01.07.1993, Dearness Allowance Scheme shall be as under : (i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 1148 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960 = 100. (ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates : (a) 0.35% of 'pay' upto Rs. 4,800/- plus, (b) 0.29% of 'pay' above Rs. 4,800/- to Rs. 7,700/- plus, (c) 0.17% of 'Pay' above Rs. 7,700/- to Rs. 8,200/- plus, (d) 0.09% of 'pay' above Rs. 8,200/- **Note :** (i) 'Pay' for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments. (ii) Professional Qualification Allowance shall rank for dearness allowance with effect from 01-11-1994.
22. (1) On and from 01-11-1987, where an Officer is provided with residential accommodation by the Bank, 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him. (2) On and from 01-01-1990, where an Officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for house Rent Allowance at the following rates :	22. (1) Where an Officer is provided with residential accommodation by the bank, on and from 01-11-1994, a sum equal to 4% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him. (2) Where an Officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and from 01-11-1992 for House Rent Allowance at the following rates :

Column-I Where the place of work is in	Column-II HRA payable shall be
(i) Major 'A' Class cities, specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Govt. and Project Area Centres in Group 'A'	14% of the pay subject to a maximum of Rs. 450/- p.m.
(ii) Other places in Area I and Project Area Centre in Group 'B'.	12% of the pay subject to a maximum of Rs. 375/- p.m.
(iii) Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above.	10% of the pay subject to a maximum of Rs. 325/- p.m.
(iv) Area III	8% of the Pay subject to a maximum of Rs. 300/- p.m.

Column-I Where the place of work is in	Column-II HRA payable shall be
(i) Major 'A' Class cities, specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Govt. and Project Areas Centres in Group 'A'.	13% of the pay p.m.
(ii) Other places in Area I and Project Area Centre in Group 'B'	12% of the pay p.m.
(iii) Area II and State Capitals and capitals of union Territories not covered by (i) and (ii) above.	10½% of the pay p.m.
(iv) Area III	9½ % of the pay p.m.

1	2
Provided that if an Officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or at the rates indicated in Column II with a maximum of 175% of the maximum House Rent Allowance payable otherwise, whichever is lower.	Provided that if an Officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 4% of the pay in the first Stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per Column II above whichever is lower. **Note :** (i) 'Pay' for the purpose of House Rent Allowance shall mean Basic Pay including Stagnation increments in terms of revised pay scales as on 01-07-1993. (ii) Professional Qualification Allowance shall rank for House Rent Allowance with effect from 01-11-1994.
23. (i) On and from 01-11-1987, if he is serving in a place mentioned in column I of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in Column II thereof against that place, provided that the City Compensatory Allowance at places in the State of Goa other than urban agglomeration of Panaji and Marmugao, where it was not payable on 01-11-1987 shall be payable with effect from 20-08-1988	23. (i) On and from 01-11-1993, if he is serving in a place mentioned in Column I of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in Column II thereof against that place shall be payable.

Places (1)	Rates (2)	Places (1)	Rates (2)
(a) Places in Area I in the State of Goa	6 ½% of the Basic Pay subject to a maximum of Rs. 220 per month	(a) Places in Area I in the State of Goa	4 ½% of the Basic Pay subject to a maximum of Rs. 335/- per month.
(b) Placces with population of 5 Lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	4% of Basic Pay subject to a maximum of Rs. 135/- per month	(b) Places with population of 5 Lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	3½% of Basic Pay subject to maximum of Rs. 230/- per month

24. (1) An Officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely :—	24. (1) An Officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely :—
(a) Medical Expenses : On and from 01-01-1990 reimbursement of medical expenses of an Officer in the pay range specified in Column I of the Table below and his family may be made on the strength of the Officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in Column II thereof :	**(a) Medical Expenses :** On and from 01-11-1994 reimbursement of medical expenses to an Officer in the Grade specified in Column I of the Table below and and his family may be made on the strength of the Officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accunts for the amounts claimed subject to the limit specified in Column II thereof :

TABLE

Pay Range	Reimbursement
(1)	(2)
Rs. 2,100/- to Rs. 3,060/- p.m.	Rs. 750/-
Rs. 3,061/- to and above.	Rs. 1,000/-

Existing Regulation

Note :

An Officer may be allowed to accumulate unavailed Medical Aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Explanation : "Family" of an Officer for the purpose of this Regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) Hospitalisation Expenses :

(i) On and from 01-04-1989, hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 90% in the case of an Officer and 60% in the case of his Family members in respect of all cases which require hospitalisation. Reimbursement on the basis of bills, vouchers, etc. of expenses incurred shall be subject to ceilings determined from time to time in accordance with the guidelines of the Government.

(ii) The Officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal Hospital or any Private hospital, i.e. hospitals under the management of a Trust, Charitable institution or a religious mission. But in unavoidable circumstances, the Officers or their family members or both may avail themselves of the services of one of the approved private nursing homes or private hospitals approved by the bank. Reimbursement in such cases should, however, be restricted to the amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.

(iii) On and from 01-04-1989, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and Bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 90% in case of an officer and 60% in the case of his family members :

Cancer, Tuberculosis, Paralysis Cardiac ailment, Tumour, Small Pox, Pleurosy, Diphtheria, Leprosy, Kidney ailment.

TABLE

Grade	Reimbursement
(1)	(2)
Junior Management and Middle Management Grade.	Rs. 1,500/-
Senior Management and Top Executive Grade.	Rs. 2,000/-

Proposed Amendment

Note :

(i) An Officer may be allowed to accumulate unavailed Medical Aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

(ii) For the year 1994 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, i.e. November and December, 1994.

Explanation : "Family" of an Officer for the purpose of this Regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) Hospitalisation Expenses :

(i) On and from 01-11-1994, hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 100% in the case of an Officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation. Reimbursement on the basis of bills, vouchers, etc. of expenses incurred shall be subject to ceilings determined from time to time in accordance with the guidelines of the Government.

(ii) The Officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal Hospital or any private hospital, i.e. hospitals under the management of a Trust, Charitable Institution or a religious mission. But in unavoidable circumstances the Officers or their family members or both may avail themselves of the services of one of the approved private nursing homes or private hospitals approved by the bank. Reimbursement in such cases should, however, be restricted to the amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.

(iii) On and from 01-11-1994, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and Bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 100% in case of an officer and 75% in the case of his family members :

Cancer , Leukemia, Thalsamea, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Leprosy, Kidney Ailment, Epilepsy, Parkinson's Disease, Psychiatric Disorder and diabetes.

Existing Regulation	Proposed Amendment
	Note : The cost of medicines etc. in respect of domiciliary treatment shall be reimbursed for the period stated in the Specialist's prescription. If no period is stated, the prescription for the purpose of reimbursement shall be valid for a period not exceeding 90 days
(2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalisation etc.) listed in sub-regulation (1) above and in a complete substitution of the same, the board may decide to retain in an unaltered form medical benefits (including hospitalisation etc.) as available in the bank on the appointed date and if the board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalisation etc.)	(2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalisation etc.) listed in sub-regulation (1) above and incomplete substitution of the same, the board may decide to retain in an unaltered form medical benefits (including hospitalisation etc.) as available in the bank on the appointed date and if the board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalisation etc.)
(3) Medical aid and hospitalisation facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension.	(3) Medical aid and hospitalisation facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension
25. On and from 1-11-1987 no officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the bank. It shall, however, be open to the bank to provide residential accommodation on payment by the officer of 6% of the pay in first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less, Provided that a further sum equal to 1 1/2% of pay in the first stage of the scale of pay will be recovered by the bank from an officer if furniture is provided at such residence Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.	25. No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the bank. It shall, however, be open to the bank to provide residential accommodation on payment by the officer on and from 01-11-1994 a sum equal to 4% of the Basic Pay in first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less: Provided that a further sum equal to 1% of Basic Pay in the first stage of the scale of pay will be recovered by the bank from an officer if furniture is provided at such residence. Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.
41. (4) On and from 1-6-1991, an Officer in the grades/scales set out in Column-I of the Table below, shall be entitled to halting allowance at the corresponding rates set out in column-II thereof :	41. (4) On and from 1-6-1995, an officer in the grades/scales set out in Column-I of the Table below, shall be entitled to halting allowance at the corresponding rates set out in column-II thereof :

	Daily Allowance (Rs.)		
Grades/Scales of Officers	Major 'A' Class Cities	Area-I	Other Places
Officer in Scale-IV & above.	120.00	100.00	85.00
Officer in Scale-I/ II/III	100.00	85.00	75.00

Provided that :

(a) Where the total period of absence is less than 8 hours, but more than 4 hours, halting allowance at

	Daily Allowance (Rs.)		
Grades/Scales of Officers	Major 'A' Class Cities	Area-I	Other Places
Officer in Scale-IV & above.	250.00	200.00	175.00
Officer in Scale-I/ II/III	200.00	175.00	150.00

Provided that :

(a) Where the total period of absence is less than 8 hours, but more than 4 hours, halting allowance at 1/2

1

1/2 the above rates shall be payable

(b) Officers in various grades/scales may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single accommodation charges in ITDC hotels, subject to the limits as given below :

Grades/ Scales of Officers	Eligibility to stay	Daily Allowance (Rs.) Major 'A' Class Cities	Area-I	Other Places
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Scale-IV & VII	4* Hotel	120.00	10.00	85.00
Scale-IV & V	3* Hotel	120.00	100.00	85.00
Scale-II & III	2* Hotel (Non-AC)	100.00	85.00	75.00
Scale-I	1* Hotel (Non-AC)	100.00	85.00	75.00

(c) Where lodging is provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost, 3/4th of the halting allowance will be admissible.

(d) Where boarding is provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost 1/2 of the halting allowance will be admissible.

(e) Where lodging & boarding are provided at bank's cost/arranged through the bank free cost, 1/4th of the halting allowance will be admissible. Where however, an officer claims boarding expenses on a declaration basis without production of bills for actual expenses incurred, then he shall not be eligible for 1/4th of the halting allowance.

(f) On and from 1-1-1987, a supplementary diem allowance of Rs. 10/- per day of halt outside headquarters on inspection duty shall be paid to all inspecting officers.

Explanation :

For the purpose of computing halting allowance 'per-diem' shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in case of air-travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours 'per diem' shall mean a period of not less than 8 hours.

42. (2) (i) On and from 1-11-1987 an Officer on transfer

2

the above rates shall be payable.

(b) Officers in various grades/scales may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single accommodation charges in ITDC hotels, subject to the limits as given below :

Grades/ Scales of Officers	Eligibility to stay	Daily Charges (Rs.) Major 'A' Class Cities	Area-I	Other Places
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Scale-VI & VII	4* Hotel	250.00	200.00	175.00
Scale-IV & V	3* Hotel	250.00	200.00	175.00
Scale-II & III	2* Hotel (Non-AC)	200.00	175.00	150.00
Scale-I	1* Hotel (Non-AC)	200.00	175.00	150.00

(c) The Board may prescribe reimbursement of additional limit in excess of the limits prescribed in proviso (b) above in accordance with the guidelines of the Government

(d) Where lodging is provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost, 3/4th of the halting allowance will be admissible.

(e) Where boarding is provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost 1/2 of the halting allowance will be admissible.

(f) Where lodging & boarding are provided at bank's cost/arranged through the bank free cost, 1/4th of the halting allowance will be admissible. Where, however, an officer claims boarding expenses on a declaration basis without production of bills for actual expenses incurred, then he shall not be eligible for 1/4th of the halting allowance.

(g) A supplementary diem allowance of Rs. 10/- per day of halt outside headquarters on inspection duty shall be paid to all inspecting officers.

Explanation :

For the purpose of computing halting allowance 'per diem' shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in case of air-travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours 'per diem' shall mean a period of not less than 8 hours.

42. (2) (i) On and from 1-07-1993 an Officer on transfer

Existing Regulation	Proposed Amendment
will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by Goods Train upto the following limits :	will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by Goods Train upto the following limits :

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
Rs. 2,100/- per month to Rs. 3,060/- per month	3000 Kgs.	1000 Kgs.
Rs. 3,061/- per month & above	Full Wagon	2000 Kgs.

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
Rs. 4,250/- per month to Rs. 6,210/- per month	3000 Kgs.	1000 Kgs.
Rs. 6,211/- per month & above	Full Wagon	2000 Kgs.

45. **Provident Fund :**

(i) Every Officer shall become a member of the Provident Fund constituted by the bank, unless he is already a member of that fund and shall agree to be bound by the rules governing such fund.

(ii) The bank shall contribute to the Provident Fund in accordance with the rules governing the Provident Fund from time to time, provided that the amount contributed by it shall not be more than 10% of 80% of pay on and from 1-11-1987 to 31-12-1988, 10% of 90% of pay on and from 1-11-1989 to 31-12-1989 and 10% of pay on and from 1-11-1989, of the officer.

45. **Provident Fund and Pension :**

(i) Every Officer shall become a member of the Provident Fund constituted by the bank, unless he is already a member of that fund and shall agree to be bound by the rules governing such fund.

(ii) The Provident Fund rules framed shall provide that on and from 01-11-1993.

(a) In case of an Officer governed by the Pension Scheme, contribution to the Provident Fund shall be made only by the officer at the rate of 10% of pay without any matching contribution on the part of the Bank:

Provided that no adjustment on account of provident fund contributions already made for the period 01-07-1993 to 31-10-1993 shall be made.

(b) In case of an officer not governed by the Pension Scheme, contribution to Provident Fund by the officer and a matching contribution by the bank shall be made at the rate of 10% of pay:

Provided that no adjustment on account of provident fund contributions already made for the period 01-07-1993 to 31-10-1993 shall be made.

(iii) Officer joining the bank's service on or after 29-09-1995 shall be governed by the Pension Scheme :

Provided that the following categories of officers shall not be covered by the Pension Scheme :

(a) An officer who was in service of the bank prior to 29-09-1995, unless he has specifically exercised an option to become member of the Pension Scheme in response to bank's notice to that effect.

(b) An officer who is recruited on or after 29-09-1995 at the age of 35 years and above, and who has elected to forgo his right to Pension in terms of the Pension Scheme.

Note :

'Pay' for the purpose of provident Fund shall mean basic pay including Stagnation Increments, Officiating Allowance, Professional Qualification Allowance and increment component of Fixed Personnel Allowance.

46. **Gratuity :**

(1) Every Officer shall be eligible for Gratuity on :

(a) Retirement,

(b) Death,

(c) Disablement rendering him unfit for further

46. **Gratuity :**

(1) Every Officer shall be eligible for Gratuity on :

(a) Retirement,

(b) Death,

(c) Disablement rendering him unfit for further ser-

Existing Regulation	Proposed Amendment
service as certified by a medical officer approved by the Bank.	vice as certified by a medical officer approved by the Bank.
(d) Resignation after completing ten years of continuous service, or	(d) Resignation after completing ten years of continuous service, or
(c) Termination of service in any other way except by way of punishment, after completion of 10 years of service.	(e) Termination of service in any other way except by way of punishment, after completion of 10 years of service.
Provided that in respect of the officers on the appointed date the existing supplementary pension scheme in the Bank in lieu of gratuity may continue.	Provided that in respect of Officers on the appointed date who have not opted for the pension scheme envisaged in the Allahabad Bank (Employees') Pension Regulations 1995, the existing supplementary pension scheme otherwise called as Allahabad Bank Employees Pension Scheme (Old) in lieu of Gratuity may continue.
(2) The amount of Gratuity payable to an Officer shall be One Month's Pay for every completed year of service, subject to maximum of 15 month's pay.	(2) The amount of Gratuity payable to an Officer shall be One Month's Pay for every completed year of service, subject to maximum of 15 month's pay.
Provided that where an Officer has completed more than 30 years of Service, he shall be eligible by way of Gratuity for an additional amount at the rate of one-half of a month's pay for each completed year of service beyond Thirty years.	Provided that where an Officer has completed more than 30 years of Service, he shall be eligible by way of Gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond Thirty Years.
	Provided further that pay for the purpose of Gratuity for an officer who ceased to be in service during the period 01-07-1993 to 31-10-1994 shall be with regard to scale of pay as specified in sub-regulation (1) of regulation 4.
Note :	**Note :**
If the fraction of service beyond completed years of service is Six Months or more, Gratuity will be paid prorata for the period.	If the fraction of service beyond completed years of service is Six Months or more, Gratuity will be paid prorata for the period.

R.K. NATH, Asstt. General Manager (PA)

Foot Note : The amendments carried out earlier in the above Regulation were Gazetted Vide Notification No. ..... dated .....

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996